रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 612] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 22, 2003/पौष 1, 1925
No. 612] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 22, 2003/PAUSA 1, 1925

## मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(महिला और बाल विकास विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2003

**सा.का.नि. 959(अ).**—केन्द्रीय सरकार, शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 41) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) नियम, 1993 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) संशोधन नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में 1 जनवरी, 2004 को प्रवृत्त होंगे।

2. शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) नियम, 1993 (जिन्हें इसमें उसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 5 में,—

(i) ''शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतलों'' शब्दों को स्थान पर, ''शिशु दुग्ध अनुकल्प या शिशु खाद्य या पोषण बोतलों'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) ''शिशु दुग्ध अनुकल्पों या पोषण बोतलों'' शब्दों के स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं, ''शिशु दुग्ध अनुकल्पों या शिशु खाद्य या पोषण बोतलों'' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) ''संगठन या निजी व्यवसाय में स्वास्थ्य कार्यकर्ता'', शब्दों के स्थान पर, ''संगठन, निजी व्यवसाय में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फार्मेसी, औषधि भण्डार या स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कोई संगम'' शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों के नियम 7 में,—

(i) पार्श्व शीर्षक ''शिशु खाद्यों पर लेबल लगाने संबंधी विशिष्टयां'' के स्थान पर, पार्श्व शीर्षक, ''शिशु दुग्ध अनुकल्प, शिशु खाद्यों पर लेबल लगाने संबंधी विशिष्टियां'' रखा जाएगा;

(ii) ''शिशु दुग्ध या शिशु खाद्य अनुकल्पों के लेबल या आधान या उनके विज्ञापन'' शब्दों के स्थान पर, ''शिशु दुग्ध अनुकल्प या शिशु खाद्य के लेबल या आधान'' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) ''लेबल या उनके आधान या उनके विज्ञापन'' शब्दों के स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं, ''लेबल या आधान'' शब्द रखे जाएंगे;

(iv) खण्ड (घ) के उपखण्ड (i) में, ''शिशु दुग्ध खाद्य'' शब्दों के स्थान पर, ''शिशु खाद्य'' शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 8, में,—

(i) पार्श्व शीर्षक में, ''लेबल, आधान या विज्ञापन'' शब्दों के स्थान पर, ''लेबल या आधान'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) ''लेबल, आधान या विज्ञापन'' शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, ''लेबल या आधान'' शब्द रखे जाएंगे।

5. उक्त नियमों के नियम 9 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) की मद (अ) में, "उसके जन्म के प्रथम कुछ मास में" शब्दों के स्थान पर, "जीवन के प्रथम छह मास के लिए" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 12-13/97-टीआर. II/आईएमएस(वा 02)]

कस्तूरी गुप्ता मेनन, सचिव

**पाद टिप्पण :**—मूल नियम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 528(अ), तारीख 31 जुलाई, 1993 द्वारा प्रकाशित हुए थे और तत्पश्चात्-सा.का.नि. 726(अ), तारीख 2 दिसम्बर, 1993 और सा.का.नि. 50(अ), तारीख 22 जनवरी, 1999 द्वारा संशोधित किए गए।

## MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

**(Department of Women and Child Development)**

## NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2003

**G.S.R. 959(E).**— In exercise of the powers conferred by Section 26 of the Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1992 (41 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Rules, 1993, namely :—

1. (1) These rules may be called the Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Amendment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the 1st day of January, 2004.

2. In rule 5 of the Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Rules, 1993 (hereinafter referred to as the said rules),—

(i) for the words "infant milk substitutes, feeding bottles", the words "infant milk substitutes or infant foods or feeding bottles" shall be substituted;

(ii) for the words "infant milk substitutes or feeding bottles" at both the places where they occur, the words "infant milk substitutes or infant foods or feeding bottles" shall be substituted;

(iii) for the word "organization or health worker in private practice", the words "organization, health worker in private practice, pharmacy, drug store or any association of health workers" shall be substituted.

3. In rule 7 of the said rules, —

(i) for the marginal heading, "Particulars of labelling of infant foods", the marginal heading "Particulars of labelling of infant milk substitute and infant foods" shall be substituted;

(ii) for the words "infant milk or infant food substitute or their advertisements", the words "infant milk substitute or infant food" shall be substituted;

(iii) for the words "the label, container or the advertisement", at both the places where they occur, the words "the label or container" shall be substituted;

(iv) In clause (d), sub-clause (i), for the words, "Infant milk food" the words, "Infant food" shall be substituted.

4. In rule 8 of the said rules, —

(i) in the marginal heading, for the words "a label, container or an advertisement", the words "a label or container" shall be substituted;

(ii) for the words "a label, container or advertisement", wherever they occur, the words "a label or container" shall be substituted.

5. In rule 9 of the said rules, in sub-rule (1), in clause (a), in sub-clause (ii), in item (A), for the words "in the first few months of its birth", the words "for the first six months of life" shall be substituted.

[F. No. 12-13/97-TR.II/IMS(Vol. II)]

KASTURI GUPTA MENON, Secy.

**Footnote :**— The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 528(E), dated the 31st July, 1993 and subsequently amended vide G.S.R. 726(E), dated 2nd December, 1993 and G.S.R. 50(E), dated the 22nd January, 1999.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.